ई0 पत्रावली संख्या--50799

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग--02 **देहरादून : दिनांक मार्च, 2023**

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2022--23 में राज्य सैक्टर की डी0पी0आर0 निर्माण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--1235/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी--27(योजना), दिनांक 03.03.2023 में किये गये प्रस्ताव के सापेक्ष मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर सर्वेक्षण एवं अन्वेषण--डी0पी0आर0 निर्माण मद में जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के लस्तर बाई पाईप सिंचाई नहर निर्माण हेतु सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 गठन के सम्बन्ध में (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या--1712/2021) प्राक्कलन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 35.67 लाख (रूपये पैंतीस लाख सडसठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2022--23 में इतनी ही धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2017 (समय--समय पर यथासंशोधित), वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय--समय निर्गत शासनादेशों एवं आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या--2047/XIV--219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0 31.03.2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(vi) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य की क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को नियमानुसार समर्पित की जाय।

(vii) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

.023

./2023

(viii) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2700–मुख्य सिंचाई–80–सामान्य–005–सर्वेक्षण तथा अनुवेषण–02–डी0पी0आर0 निर्माण की 27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की कम्प्यूटर जनित संख्या–108066/2023, दिनांक 21 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 21-03-2023 18:20:55

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई0पत्रावली संख्या–50799, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. वित्त अनु–2,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 21-03-2023 18:22:08

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।